

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा  
(जिला योजना शाखा)

इच्छा की अभिव्यक्ति  
(Expression of Interest)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में कौशल विकास के अन्तर्गत Paper & Cloth Bag making (कागज एवं कपड़े का बैग/ठोंगा) ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त के निमित्त इच्छुक प्रशिक्षण सेवा प्रदाता (TSP) का चयन करने हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक प्रशिक्षण सेवा प्रदाता (TSP) को सूचीबद्ध जिला योजना कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में किया जायेगा।

इच्छुक प्रशिक्षण सेवा प्रदाता (TSP) अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) में Technical Bid एवं Financial Bid अलग-अलग बन्द लिफाफा में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को संबोधित करते हुए स्थान- जिला योजना कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा में EOI प्रकाशन की तिथि से दिनांक 22/10/2019 के अपराह्न 2:00 बजे तक हाथों-हाथ या स्पीड पोस्ट/निबंधित/पार्सल के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

उक्त निविदा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के सभा कक्ष में दिनांक 22/10/2019 को 3:00 बजे अपराह्न में खोली जायेगी।

नोट :- उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट [www.chaibasa.nic.in](http://www.chaibasa.nic.in) पर देखा जा सकता है।

  
11/10/19

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 327/जि०यो० दिनांक 11.10.19

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आज ही NIC के वेबसाईट में Upload करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं उक्त निविदा को सभी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
11/10/19

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

## इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

Paper & Cloth Bag Making (कागज एवं कपड़े का बैग/ठोंगा) ट्रेड में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रशिक्षण सेवा प्रदाता (Training Service Provider) के लिए Qualifying Criteria एवं शर्तें निम्नवत् है :-

विहित शर्तें :-

1. जिला प्रशासन के द्वारा 60 महिलाओं को Paper एवं Cloth Bag Making का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण भवन, प्रशिक्षण हेतु मशीन तथा प्रशिक्षण भत्ता उपलब्ध करायी जाएगी।
2. Paper एवं Cloth Bag को तैयार कर निःशुल्क वितरण हेतु तीन माह तक Raw Material क्रय करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
3. तैयार किये गये Paper एवं Cloth Bag के बाजार में विक्रय हेतु Sales/Marketing, Supply Chain हेतु Hand Holding Support Provide कराना प्रशिक्षण सेवा प्रदाता सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के द्वारा Financial Bid में Capex जिसमें Center setup Cost with Machinery एवं प्रशिक्षण से संबंधित Raw Material Cost with details (संलग्न प्रपत्र में) 03 माह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. Paper एवं Cloth Bag Making प्रशिक्षण की अवधि 15 एवं 45 दिन Sales/Marketing Supply Chain हेतु Hand Holding Support Provide करेंगे। बैच साईज - 30, समय 04 घण्टा प्रतिदिन (दो बैच प्रतिदिन)।
6. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता का किसी भी सरकारी योजना में भारत के किसी भी राज्य के अन्तर्गत जुड़कर कार्य करने का अनुभव हो, प्राथमिकता दी जायेगी।
7. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के द्वारा अभ्यर्थी को केन्द्र/राज्य में मान्यता प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।
8. SSC Assessment एवं Certification का खर्च का भुगतान on actual basis में विपत्र उपलब्ध कराने पर किया जायेगा।
9. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता द्वारा उक्त शर्तों के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं दी जाती है, तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त का निर्णय ही अंतिम होगा।

Qualifying Criteria :-

1. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता का NSDC का Training Partner होने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
2. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता का स्थापना/गठन विगत 5 वर्ष अथवा उसके पूर्व का होने पर प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण सेवा प्रदाता का Jharkhand Skill Development Mission Society (JSDMS)/ Other State Skill Development Mission के साथ प्रशिक्षण दिये जाने हेतु पूर्व में MoU होना चाहिए।
3. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता का विगत 03 वर्षों में कौशल विकास के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के कम-से-कम 3000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का अनुभव रखने वाले TSP को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता का विगत तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम 30 लाख (तीस लाख) रुपये का औसत राजस्व होना चाहिए।
5. संबंधित निविदादाता को निविदा के साथ इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। साथ ही उसे किसी सरकारी/ गैर सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रयोजनार्थ में काली सूची में न डाला गया हो।
6. सर्वप्रथम तकनीकी बिड को खोला जाएगा, इसमें सफल निविदादाता का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा।
7. प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के द्वारा अभ्यर्थी के लिए Mobilization, TLM, Centre Staff, Office Expenses आदि का व्यय प्रशिक्षण राशि में अंकित कर किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु Establishment Cost एवं Operational Cost Per Candidate का उल्लेख Financial Bid में करना सुनिश्चित करेंगे।
8. न्यूनतम Bid को Select किया जाएगा।
9. कमिटी का निर्णय ही अन्तिम होगा।



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

**Annexure -1**

Sl. No.	Center Setup Cost Summary	
	Type of Cost	Total Cost
1	Center Setup Cost	
2	Operational Cost (Training Material, Trainer, etc.	

**Annexure -2**

List of the Practical Material/Equipment					
Sl. No.	Name of the Item	Quantity	Brand	Average Cost	Remarks
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

नोट: Annexure-2 में पेपर एवं कपड़े के बैग के उत्पादन हेतु मशीन की विवरण भी उपलब्ध कराया जाना है।